

भाकृअनुप-भारतीय जल प्रबंधन संस्थान Indian Institute of Water Management

पोस्ट ऑफिस - रेल विहार, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओड़ीशा-751023 Post Office- Rail Vihar, Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Odisha-751023 ईमेल/Email: director.iiwm@icar.gov.in बसाइट /website: www.iiwm.res.in

फैक्स/Fax: 0674-2301651

tor.iiwm@icar.gov.in बसाइट /website: www.iiwm.res.in 2301651 <u>दूरभाष/Tel</u>: 0674-2300060 (निदेशक) ईपीएबीएक्स/EPABX:-2300010/2300016/1200481/2301815



यह संस्थान सदैव हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है ताकि राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिल सके।

दिशा-निर्देश/Guidelines

- 1. कृपया सुनिश्चित कर लें कि आपने छुट्टी हेतु आवेदन किया है और एलटीसी यात्रा शुरू होने से पहले अपने प्रशासन को पूरी तरह से भरा हुआ स्व-प्रमाणन प्रपत्र जमा करें/Please ensure you have applied for leave and submitted the completely filled self-certification form to your Administration before the LTC Journey is undertaken.
- 2. कृपया एलटीसी के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता की जांच कर लें। दो साल के ब्लॉक में होम टाउन के लिए एक बार एलटीसी का लाभ लिया जा सकता है और चार साल के ब्लॉक में भारत के किसी भी स्थान हेतु एक बार एलटीसी का लाभ लिया जा सकता है। यिद इन ब्लॉकों के दौरान लाभ नहीं लिया गया है तो निम्नलिखित ब्लॉक के पहले वर्ष में एलटीसी का भी लाभ लिया जा सकता है। /Please check the eligibility before applying for LTC. LTC to Home Town can be availed once in a block of two years and LTC to Any place in India may be availed once in a four year block. If not availed during these blocks, the LTC may also be availed in the first year of the following block.
- 3. कृपया ध्यान दें कि शुरू के दो साल का ब्लॉक 2018-19 है और शुरू के चार साल का ब्लॉक 2018-21 है। Please note that the current two years block is 2018-19 and the current four year block is 2018-21.
- 4. नए भर्तियों के मामले में,एलटीसी से होम टाउन के लिए चार साल के ब्लॉक में तीन अवसरों पर और चौथे अवसर पर भारत में किसी भी स्थान पर अनुमित दी जाती है। यह सुविधा केवल पहली बार सरकारी सेवा में शामिल होने के बाद लागू होने वाले चार वर्षों के पहले दो ब्लॉकों के लिए नए भर्तियों के लिए उपलब्ध है, (कृपया पूर्ण विवरण के लिए डीओपीटीके ओएम नंबर.31011/7/2013-स्था.(ए-IV) दिनांक 26.09.2014 को देखें जो 'www.persmin.nic.in' << 'ओ.एमएसऔरआदेशों' <<'नए भर्ती के एलटीसी पात्रता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)'पर उपलब्ध है। /In case of fresh recruits, LTC to Home Town is allowed on three occasions in a block of four years and to any place in India on the fourth occasion. This facility is available to the fresh recruits only for the first two blocks of four years applicable after joining the Government service for the first time, (For details, please refer to DoPT's O.M.No.31011/7/2013-Esst.(A-IV) date 26.09.2014 available on 'www.persmin.nic.in' << 'O.Ms & Orders' << ' Frequently Asked Questions (FAQs) on LTC entitlement of a Fresh Recruit')
- 5. एक नया कर्मचारी सामान्य एलटीसी नियमों के तहत उसके विकल्प पर एलटीसी लाभ का चयन कर सकता है जैसा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। इस मामले में उसे अन्य एलटीसी का लाभ उठाने की अनुमित नहीं दी जाएगी जैसा कि चार साल के उस ब्लॉक में नए भितियों के लिए स्वीकार्य है। /A Fresh recruit may at his/her option choose to avail LTC under the normal LTC rules as applicable to other Government employees. In this case he/she will not be allowed to avail other LTCs as admissible to the fresh recruits in that block of four years.
- 6. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपने पात्रता के अनुसार एलटीसी का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है बशर्ते कि वापसी की यात्रा सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले की जाए। सेवानिवृत्त के बाद एलटीसी के लाभ की अनुमित नहीं है। /The retiring Government employees are eligible to avail LTC as per their entitlement provided that the return journey is performed before their date of retirement. LTC is not allowed after retirement.
- 7. एलटीसी पर यात्रा सार्वजनिक / सरकारी परिवहन के माध्यम से सरकारी कर्मचारी के पात्रता वर्ग में ही की जानी है The Journeys on LTC are to be undertaken in the entitled class of the Government servant in public/Government mode of transport.

- 8. एलटीसीपर परिवहन के निजी साधनों द्वारा यात्रा की अनुमित नहीं है, हालाँकि, जहाँ भी सार्वजिनक परिवहन उपलब्ध नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी से प्रमाणीकरण के अधीन निजी परिवहन के लिए सहायता की अनुमित दी जाएगी जिससे कि यात्रा के उस विशेष उद्देश्य के लिए परिवहन का कोई अन्य सार्वजिनक / सरकारी साधन उपलब्ध नहीं है और ये साधन संबंधित राज्य सरकारों / परिवहन अधिकारियों की विशेष स्वीकृति के साथ स्थल से स्थल (बिंदु से बिंदु) तक एक नियमित आधार पर चलते हैं और सार्वजिनक वाहक के रूप में प्लाई के लिए अधिकृत हैं। / Travel by private modes of transport is not allowed on LTC, however, wherever a public transport is not available, assistance shall be allowed for the private transport subject to the certification from an Appropriate Authority that no other public/Government mode of transport is available for that particular stretch of journey and these modes operate on a regular basis from point to point with the specific approval of the State Governments/Transport authorities concerned and are authorized to ply as public carriers.
- 9. यदि एक सरकारी कर्मचारी एलटीसी पर परिवहन के अधिकृत साधन द्वारा निकटतम हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन तक यात्रा करता है और 'स्वयं की व्यवस्था' (जैसे निजी वाहन या निजी टैक्सी आदि), द्वारा यात्रा की घोषित जगह पर बाकी हिस्सों को पूरा करने का विकल्प चुनता है, जबिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उस हिस्से में पहले से ही उपलब्ध है, फिर भी उसे अंतिम बिंदु तक किराया प्रतिपूर्ति की अनुमित दी जा सकती है जहां उसने परिवहन के अधिकृत साधन से यात्रा की है। यह सरकारी कर्मचारी के वचन के अधीन होगा कि वें वास्तव में यात्रा के घोषित स्थान की यात्रा की है और वह निजी स्वामित्व / संचालित वाहन के द्वारा की गई यात्रा के प्रदर्शन के लिए किराया प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर रहा है। /If a Government servant travels on LTC upto the nearest airport/ railway station by authorized mode of transport and chooses to complete rest of the journey to the declared place of visit by 'own arrangement' (such as personal vehicle or private taxi etc.), While the public transport system is already available in that part, then he may be allowed the fare reimbursement till the last point where he has travelled by the authorized mode of transport. This will be subject to the undertaking from the Government employee that he has actually travelled to the declared place of visit and is not claiming the fare reimbursement for the part of journey performed by the private owned/operated vehicle.
- 10. सरकारी कर्मचारी बिहर्यात्रा (बाहरी यात्रा) की प्रस्तावित तारीख से पैंसठ दिन पहले स्वयं / और / या अपने परिवार के सदस्यों के लिए अग्रिम हेतु आवेदन कर सकते हैं और अग्रिम के आहरण के दस दिनों के भीतर उसे टिकट प्रस्तुत करना होगा, यात्रा शुरू होने की तारीख का विचार किए बिना। /Government servant may apply for advance for himself/herself and/or his/her family members sixty five days before the proposed date of the outward journey and he/she is required to produce the tickets within ten days of drawl of advance, irrespective of the date of commencement of the journey.
- 11. एलटीसी योजना प्रतिपूर्ति स्थानीय यात्रा पर होने वाले आकस्मिक खर्च और व्यय को कवर नहीं करती है। इसमें केवल बिंदु से बिंदु यात्रा के आधार पर सबसे छोटे प्रत्यक्ष मार्ग पर टिकट के माध्यम से यात्रा के खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति है। /Reimbursement under LTC scheme does not cover incidental expenses and expenditure incurred on local journeys. Reimbursement for expenses of journey is allowed only on the basis of a point to point journey on a through ticket over the shortest direct route.
- 12. एलटीसी दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा है /The time limit for submission of LTC claim is:
 - वापसी यात्रा पूरी होने के तीन महीने के अन्दर, यदि कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है। /Within three months of completion of return journey, if no advance is drawn;
 - वापसी यात्रा पूरी होने के एक महीने के अंदर, यदि कोई अग्रिम लिया जाता है। / Within one month of completion of return journey, if advance is drawn.
- 13. सरकारी अधिकारी हवाई यात्रा करने के पात्र हैं और उन्हें एलटीसी-80 किराया या उससे कम पर केवल किफ़ायती वर्ग में एयर इंडिया की यात्रा करना आवश्यक है जब तक कि किसी सामान्य या विशेष प्रावधान द्वारा ऐसा करने की अनुमति न हो। / Government officials entitled to travel by air are required to travel by Air India only in Economy class at LTC-80 fare or less unless permitted to do so by any general or specific provision.

- 3 -

- 14. सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा करने के पात्र नहीं हैं वे किसी भी एयरलाइंस द्वारा यात्रा कर सकते हैं, जबकि ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति उनके हकदार क्षेणी के ट्रेन या वास्तविक व्यय के किराए तक सीमित होगी,जो भी कम हो। /Government Employees are not entitled to travel by air may travel by any airlines, however, reimbursement in such cases shall be restricted to the fare of their entitled class of train or actual expense, whichever is less.
- 15. सभी मामलों में जब भी कोई सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा करता है, उसे हवाई टिकट सीधे एयरलाइनों के माध्यम से या अनुमोदित ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से बुक करना आवश्यक है जैसे एम/एस बाल्मर लॉरी एंड कं.एलटीडी/ एम/एस अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स लिमिटेड / आईआरसीटीसी। किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की अनुमित नहीं है।/In all cases whenever a Govt. servant travels by air, he/she is required to book the air tickets either directly through the airlines or through the approved travel agencies viz: M/s. Balmer Lawrie & Co. Ltd /M/s Ashok Tours & Travels Ltd/ IRCTC. Booking of tickets through any other agency is not permissible.
- 16. भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) राज्य पर्यटन विकास निगम (एसटीडीसी) और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा किए गए दौरों को छोड़कर, टूर पैकेज पर यात्रा की अनुमित नहीं है। ऐसे मामलों में केवल किराया घटक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आईटीडीसी / एसटीडीसी / आईआरसीटीसी अलग से किराया घटक का संकेत देते हैं और प्रमाणित करते हैं कि यात्रा वास्तव में सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी, जिसके लिए अवकाश यात्रा रियायत का दावा कर रहें है। /Travel on tour packages is not allowed, except in the case of tours conducted by Indian Tourism Development Corporation (ITDC) State Tourism Development Corporation (STDC) and Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC). In such cases, only the fare component shall be reimbursable provided ITDC/STDC/IRCTC separately indicate the fair component and certify that the journey was actually performed by the Government servant and his family members for which he is claiming the Leave Travel Concession.
- 17.अपने दावे की अस्वीकृति से बचने के लिए कृपया सुनिश्चित कर लें कि आपका एलटीसी का दावा निर्देशों के अनुसार ही है। /Please ensure that your LTC claim is as per the instructions to avoid rejection of your claim.

"सुहावनी, सफल, मंगल यात्रा और सुखद अवकाश"/"Have a pleasant Journey and a happy holiday"

भाजप्रसं, प्रशासन / IIWM, Administration